राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (90)पीएस/निकाशि/2013/1129 दिनांक 3-10-2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 14.07.2011, 11.08.2011, 06.06.12 व 22.06.12 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्ति निम्नांकित कर्मचारी जिन्होने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंषा की गई थी। जिसके पश्चात इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांकः एफ1(43)पीएस/निकाशि/11/289 दिनांक 01.08.11 के द्वारा इनको कॉलम नं. 4 में अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। इनके द्वारा कॉलम नं. 4 में अंकित तिथि को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति दी गई। उपस्थिति देने के पश्चात कॉलम नं. 2 में अंकित तिथि को ये अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत हो गये। इनके पदस्थापन के आदेश जारी होने से पूर्व ही इनके सेवानिवृत हो जाने के कारण इनको पदस्थापित नहीं किया जा सका था। अब इन कर्मचारियों को क्षैत्रीय कार्यालय में उपस्थिति से सेवानिवृति तिथि तक के वेतन का भुगतान किया जाना है इसलिए राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण सेवा नियम–2010 के नियम 5 (II) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुये राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण सेवा नियम–2010 में उल्लेखित निबंधनों एंव शर्तो के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान में क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति की दिनांक से सेवानिवृति की तिथि तक के मात्र वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु काल्पनिक आधार पर पदस्थापित किया जाता है:–

1. संबन्धित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिकों को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति की दिनांक से सेवानिवृति तिथि तक के वेतन–भत्तों का विभाग द्वार समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं निम्न निर्धारित शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित कर अविलम्ब नियमानुसार भुगतान किया जावेगा जिसका बजट मद 2202–03–103 (2)–00 आयोजना भिन्न के अन्तर्गत होगा।

2. ये इन नियमों के अधीन अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नही होगें तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत ओर सहायता प्राप्त पदो पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।

3. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के अध्यधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 5(ii) के अनुरूप मृत सवर्ग के रूप में की जा रही है।

4. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदो के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगें। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होगें।

5. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठें वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेगें।

6. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगें।

इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मद्दे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम में बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगे।

8. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नही होगें अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नही किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

9. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगीं। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्त्व नहीं होगा।

10. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधित जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य रो बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.स.	नाम कर्मचारी/पद/जन्मतिथि एवं सेवानिवृति/मृत्यु तिथि	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम एवं उसमें उपस्थिति का दिनांक	पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय जहां से वेतन का भुगतान किया जाना है
1	श्री भंवरलाल मेहरा च0श्रे0क0 19.02.57 / 11.11.2011 (मृत्यु)	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	जयपुर 03.08.11	राज0महा0, चिमनपुरा
2	श्री रामनिवास चौकिदार 1.12.64 / 30.10.11 (मृत्यु)	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 02.8.2011	राज0महा0, चिमनपुरा
3	श्री विजय कुमार मिश्रा कार्टोग्राफर 11.09.51 / 30.09.11	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	अजमेर 19.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
4	श्रीमती कृष्णा गुप्ता अनुदेशक (जी.पी.ई.एम.) 15.9.51 / 30.9.11	श्री सत सांई कॉलेज फॉर वुमेन, जयपुर	जयपुर 17.8.11	राज0महा0, कोटडा
5	श्री विजय सिंह राजपूत च0श्रे0क0 20.9.51 / 30.9.11	प0 उदय जैन महाविद्यालय, कानोड, उदयपुर	उदयपुर 02.8.11	राज0महा0, चिमनपुरा
6	श्री बद्री नारायण कुमावत लेबबॉय 1.10.51 / 30.9.11	कनोडिया पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 3.08.11	राज0महा0, कालाडेरा
7	देवी दत्त शर्मा रिसर्च सहायक 1.10.51 / 30.9.11	साहित्य संस्थान, उदयपुर	उदयपुर 3.8.11	राज0महा0, खेरवाडा
8	सौभाग चंद गढवाल प्र0शा0स0 15.10.51 / 31.10.11	सावित्रि गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर 5.8.11	राज0महा0, गोविन्दगढ
9	शंकर सिंह नेपाली च0श्रे0क0 4.12.51 / 31.12.11	बी0डी0 तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ, सीकर	जयपुर 3.8.11	राज0महा0, गोविन्दगढ

	राजूराम च0श्रे0क0 1.1.52 / 31.12.11	राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर	जोधपुर 02.8.11	राज0महा0, कालाडेरा
11	रत्तीपाल सिंह लेबबॉय 01.01.52 / 31.12.11	एस0जी.एन0 खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर	बीकानेर 4.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
12	नाहर सिंह राजपूत च0श्रे0क0 05.01.52 / 31.01.12	माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर 03.8.11	राज0महा0, कालाडेरा
13	सुरेन्द्र कुमार वशिष्ट क0लि0 10.01.52 / 31.01.12	मोहता कॉलेज, शादुलपुर, चुरू	बीकानेर 02.8.11	राज0महा0, कालाडेरा
14	पुखराज तापडिया क0लि0 02.02.52 / 28.02.12	ओंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय जोधपुर	जोधपुर 03.08.11	राज0महा0, भोपालगढ
15	गोविन्दी बाई च0श्रे0क0 05.02.52 / 28.02.12	श्री सत सांई कॉलेज फॉर वुमेन, जयपुर	जयपुर 02.08.11	राज0महा0, बीबीरानी
16	नन्दा च0श्रे0क0 05.02.52 / 28.02.12	एस.एस. जैन पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 05.08.11	राज0महा0, खेरवाडा
17	मोहन लाल झाबक च0श्रे0क0 09.02.52 / 28.2.12	श्री जैन पी.जी. कॉलेज, बीकानेर	बीकानेर 2.8.11	राज0महा0, कोटडा
18	कुम्भ सिंह च0श्रे0क0 05.03.52 / 31.03.12	महर्षि दयानन्द कॉलेज, श्रीगंगानगर	बीकानेर 2.8.11	राज0महा0, कोटडा
19	रामेश्वर चौधरी च0श्रे0क0 05.03.52 / 31.03.12	सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ	बीकानेर 2.8.11	राज0महा0, मण्डफिया
20	भवानी सिंह नेपाली च0श्रे0क0 16.03.52 / 31.03.12	माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर 03.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
21	महावीर प्रसाद पारीक प्र0शा0स0 23.03.52 / 31.03.12	बी0डी0 तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ, सीकर	जयपुर 3.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
22	शेखर सक्सैना प्र0शा0स0 31.03.52 / 31.03.12	एस.एस. जैन पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 5.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
23	किशन लाल च0श्रे0क0 01.04.52 / 31.03.12	एस.एस. जैन पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 05.8.11	राज0महा0, थानागाजी
24	सन्नू तैजी च0श्रे0क0 15.04.52 / 30.04.12	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर 02.8.11	राज0महा0, नादौती
25	आर. एस. कमठान क0लेखाकार 28.4.52 / 30.4.12	जे.बी.शाह गर्ल्स कॉलेज, झुंझुनू	जयपुर 2.8.11	राज0महा0, चिमनपुरा
26	रामचन्द्र मेहतो च0श्रे0क0 01.5.52 / 30.4.12	सेठ जी0एल0 बिहाणी एस0बी0पी0जी0 कॉलेज श्रीगंगानगर	बीकानेर 06.8.11	राज0महा0, भीम
27	नाथूसिंह चूंडावत च0श्रे0क0 02.5.52 / 31.5.12	श्री प्राज्ञ महा. विजयनगर, अजमेर	अजमेर 02.8.11	राज0महा0, भोपालगढ
28	भीमसिंह राजपुरोहित व0लिपिक 14.5.52 / 31.5.12	श्री ज्ञान ज्योति कॉलेज, श्रीकरणपुर	बीकानेर 03.8.11	राज0महा0, कालाडेरा
29	ओम प्रकाश व्यास प्र0शा0स0 31.5.52 / 31.5.12	लाल बहादूर शास्त्री पी0 जी0 महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 03.8.11	राज0महा0, थानागाजी

30	जगदीश प्रसाद गहलोत प्र0शा0स0 11.6.52 / 30.6.12	दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर 3.8.11	राज0महा0, थानागाजी
31	नरसीराम च0श्रे0क0 13.06.52 / 30.6.12	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर 2.8.11	राज0महा0, भोपालगढ
32	वासदेव खेमचन्दानी व0लिपिक 25.6.52 / 30.6.12	आदर्श कन्या महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर 3.8.11	राज0महा0, खेरवाडा
33	रामवृक्ष यादव च0श्रे0क0 1.7.52 / 30.6.12	सेठ जी0एल0 बिहाणी एस0बी0पी0जी0 कॉलेज श्रीगंगानगर	बीकानेर 6.8.11	राज0महा0, खेरवाडा
34	गोर्वधन सिंह चूण्डावत व0लिपिक 12.7.52 / 31.7.12	बी0एन0 पी0जी0 कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर 2.8.11	राज0महा0, नसीराबाद
35	विनोद कुमार माहना प्र0शा0स0 20.7.52 / 21.05.12 (जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, श्रीगंगानगर को उपस्थिति हेतु भेजा गया)	सेठ जी0एल0 बिहाणी एस0बी0पी0जी0 कॉलेज श्रीगंगानगर	बीकानेर 6.8.11	राज0महा0, बीबीरानी
36	लालसिंह चूण्डावत च0श्रे0क0 20.7.52 / 31.7.12	बी0एन0 पी0जी0 कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर 2.8.11	राज0महा0, केलवाडा
37	लाभ सिंह प्र0शा0स0 20.7.52 / 31.7.12	एस0जी0एन0 खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर	बीकानेर 4.8.11	राज0महा0, केलवाडा
38	शंकरलाल च0श्रे0क0 25.7.52 / 31.7.12	जे.बी.शाह गर्ल्स कॉलेज, झुंझुनू	जयपुर 2.8.11	राज0महा0, बीबीरानी

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक एफ1 (90)पीएस / निकाशि / 2013 / 1130 दिनांक 31/10/2013
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, (स्थापना / अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शिक्षा, श्रीगंगानगर – क.स. 35 पर अंकित कार्मिक को दिनांक 22.05.12 से सेवानिवृति दिनांक 31.07.12 तक के वेतन भत्तों का भुगतान अपने स्तर पर करावें।
8. संबंधित प्राचार्य, अनुदानित महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का सेवाभिलेख पदस्थापित महाविद्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. स्थापना शाखा / नोड़ल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर